रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2260] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

No. 2260] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2011

का.आ. 2712(अ).—केन्द्रीय सरकार खादी और ग्रामोद्योग नियम, 2006 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956(1956 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1145 (अ) तारीख, 19 जुलाई, 2006 के अधीन अधिसूचित विद्यमान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पाँच वर्ष की अवधि के पूरा होने के परिणामस्वरूप, आयोग को पुनःगठित करती है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, अर्थात् :—

I आंचलिक सदस्य

[खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उप-धारा (2) का खंड (क)]

1.	पश्चिमी अंचल	श्री देवेन्द्रकुमार आर देसाई, अर्पण, अक्षर मार्ग, आमीन वन्दा के पास, राजकोट, गुजरात- 360 001	पूर्णकालिक
2.	पूर्वी अंचल	श्री जयनन्दू, 301, शान्ति निकेतन अपार्टमेन्ट, जे सी रोड, लालपुर, राँची, झारखण्ड- 834 001	अंशकालिक

3.	उत्तरी अंचल	श्री देशराज गौतम ग्रा.एवं पो., चालोला तहसील एवं जिला : ऊना, हिमाचल प्रदेश - 174 303	अंशकालिक
4.	दक्षिणी अंचल	श्री के.सी. कलप्पा ग्रामः अमरावई, मंडलः मनोपद, जिला- महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश- 509 128	अंशकालिक
5.	मध्य अंचल	श्री इन्द्रेश विक्रम सिंह सेमरी कोठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	अंशकालिक
6.	पूर्वोत्तर अंचल	श्री शरीफ उज्जमान लसकर कडरिया रोड, मधुरबन्द, पोः सिलचर, जिलाः कछार, असम- 788 001	अंशकालिक

II विशेषज्ञ सदस्य

[धारा 4 की उप-धारा (2) का खंड (ख)]

		विषय	
7.	डॉ0 दीपक त्यागी, ए-28, सैक्टर- 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश	विपणन	अंशकालिक
8.	प्रोफेसर एल.आर. वर्मा, निदेशक, ली बी इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ बीकीपिंग एंड एग्रो एंटरप्राइजेस, जी.टी. रोड, दोराहा, जिला- लुधियाना, पंजाब- 141 421	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	अंशकालिक

9.	डॉ0 विभा गुप्ता मगन संग्रहालय, कुमारप्पा रोड, वर्धा, महाराष्ट्र- 442 001	ग्रामीण विकास	अंशकालिक
10.	श्री भूपाल सिंह फ्लैट ओ-604, डिजाइन आर्क, प्लॉट जीएच-6, सैक्टर -5, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201 020	मानव संसाधन विकास	अंशकालिक

III पदेन सदस्य

[खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उप-धारा (2) का खंड (ख क), खंड (ग) और खंड (घ)]

11. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक

12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

13. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2. केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री देवेन्द्र कुमार आर देसाई, सदस्य, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 13 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार, आयोग के सदस्य (पदेन सदस्यों को छोड़कर) केंद्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होकर निरंतर पाँच वर्षों की अवधि से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं 6(1)/2011-केवीआई-II]

दिनेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2011

S.O. 2712(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, and consequent upon the expiry of the five years term of the existing Khadi and Village Industries Commission notified under notification No. S.O. 1145(E), dated the 19th July, 2006, the Central Government hereby re-establishes the Commission and appoints the following persons as members of the Khadi and Village Industries Commission, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

I. ZONAL MEMBERS:

[Clause (a) of sub-section (2) of section 4 of Khadi and Village Industries Commission Act, 1956]

(1)	Western Zone	Shri Devendrakumar R Desai, "Arpan" Akshar Marg, Near Amin's Vanda, Rajkot, Gujarat – 360 001.	Full Time
(2)	Eastern Zone	Shri Jainandu, 301, Shanti Niketan Apartment, J.C. Road, Lalpur, Ranchi, Jharkhand – 834 001.	Part Time
(3)	Northern Zone	Shri Desh Raj Gautam, Village & Post Office Chalola, Tehsil & District: Una, Himachal Pradesh – 174 303.	Part Time
(4)	Southern Zone	Shri K.C. Kalappa, Village: Amaravai, Mandal: Manopad, Dist.: Mahabubnagar, Andhra Pradesh – 509 128.	Part Time

(5)	Central Zone	Shri Indresh Vikram Singh, Semri Kothi, Raebareli, Uttar Pradesh.	Part Time
(6)	North-Eastern Zone	Shri Sharif Uz-Zaman Laskar, Kadiria Road, Madhurband, Post: Silchar, Dist: Cachar, Assam – 788 001.	Part Time

II. EXPERT MEMBERS:

[Clause (b) of sub-section (2) of section 4]

		Discipline	
(7)	Dr. Deepak Tyagi, A-28, Sector – 16, Noida, Uttar Pradesh.	Marketing	Part Time
(8)	Prof L.R Verma, Director, Lee Bee International Institute of Beekeeping and Agro Enterprises, G.T. Road, Doraha, Dist: Ludhiana, Punjab – 141 421.	Science and Technology	Part Time
(9)	Dr. Vibha Gupta, Magan Sangrahalaya, Kumarappa Road, Wardha, Maharashtra – 442 001.	Rural Development	Part Time
(10)	Shri Bhupal Singh, Flat O-604, Design Arch, Plot GH-6, Sector – V, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201 020.	Human Resources Development	Part Time

4349 GI/11-2

III. EX-OFFICIO MEMBERS:

[Clauses (ba), (c) and (d) of sub-section (2) of section 4 of Khadi and Village Industries Commission Act, 1956]

(11) Chairman, State Bank of India

(12) Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission

(13) Financial Adviser, Khadi and Village Industries Commission

2. In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Devendrakumar R Desai, Member, Khadi and Village Industries Commission, as Chairman of the said Commission.

3. In accordance with the provisions of sub-section (1) of section 13 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956(61 of 1956), the members of the Commission (except the ex-officio members) shall hold office at the pleasure of the Central Government which shall not exceed a continuous period of five years commencing from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 6(1)/2011-KVI-II]

DINESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.